



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jldajodhpur / yahoo.com वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2023/907

दिनांक:- 17/08/2023

—:बैठक कार्यवाही विवरण:—

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक 17.08.2023 उपायुक्त (जोन-6) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है:-

एजेण्डा संख्या	विषय
01	राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 825, 826, 827, 828 रकबा 18948.54 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण तथ्य—

1. पूर्व जोन.स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 14.12.2022 में एजेण्डा संख्या 2 के निर्णय अनुसार आवेदित भूमि का आवासीय भूखण्ड का अनुपात 70 प्रतिशत से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
2. उक्त के क्रम में कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक एफ.49/90क/जोन.-6/2023/1024 दिनांक 18.07.2023 राज्य सरकार को प्रेषित किया गया।
3. पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत योजना वर्ष 31.12.2021 से पूर्व की है तथा सर्वेयर मानचित्र अनुसार अनुसार मौके पर 10 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर मकान व चार दीवारी निर्मित है।
4. सर्वेयर अनुसार योजना का क्षेत्रफल 18948.54 वर्गमीटर है।
5. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 13 पर पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 825, 826, 827, 828 विधि शाखा में वाद लम्बित नहीं है।
6. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 29 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 825, 826, 827, 828 अवाप्ति विचाराधीन नहीं है।
7. तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 14 पर संलग्न है।
8. प्रकरण के पृष्ठ संख्या 25 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि के आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार न्यूनतम 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है:-


क्र.सं.	प्रयोजन	कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर में	प्रतिशत
1.	आवासीय	13943.41	73.58
2.	सड़क/सुविधा क्षेत्र	5005.76	26.41
	कुल	18948.54	100


निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा वाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-


01. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 01 के क्रम में नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प. (14)नविवि/जोधपुर/2023 दिनांक 04.08.2023 को सक्षम स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके अनुसार राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 825, 826, 827, 828 के ले-आउट प्लान की


स्वीकृति विभागीय आदेश दिनांक 18.07.2018 भाग 'ब' के बिन्दु संख्या 3.2(i) के अन्तर्गत विक्रय योग्य क्षेत्रफल 70 प्रतिशत से अधिक (73.75 प्रतिशत) होने पर राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति प्रदान की गयी है।

02. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
03. आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
04. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 8 के क्रम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सड़क की सुनिश्चितता की जावे।
05. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृति नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
06. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।


तहसीलदार
जोधपुर विकास
प्राधिकरण



अधिशायी / सहायक
अभियन्ता
जोधपुर विकास प्राधिकरण


सहायक नगर नियोजक
(जोन-6)
जोधपुर विकास
प्राधिकरण


उपायुक्त (जोन-6)
जोधपुर विकास
प्राधिकरण

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./ 2023/ 908 - 913. दिनांक:- 17/08/2023
प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
4. उपायुक्त जोन-6, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशायी / सहायक अभियन्ता, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
6. तहसीलदार, जो.वि.प्रा., जोधपुर।


सहायक नगर नियोजक (जोन-6)
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय
समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर